राजस्थान सरकार

प्रारम्भिक शिक्षा(आयोजना)विभाग

क्रमांक : प. 17(9)प्राशि0/आयो/2017 जयपुर, दिनांक 25/5/17

1. **निदेशक,**
   प्रारम्भिक शिक्षा
   राजस्थान, बीकानेर
2. **आयुक्त,**
   राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद
   राजस्थान, जयपुर
3. **निदेशक,**
   महिला एवं बाल विकास विभाग
   राजस्थान, जयपुर
4. **उपनिदेशक,**
   प्रारम्भिक शिक्षा विभाग
   समस्त संभाग
5. **उपनिदेशक,**
   महिला एवं बाल विकास विभाग
   समस्त जिला
6. **जिला शिक्षा अधिकारी,**
   प्रारम्भिक शिक्षा,
   समस्त जिला
7. **बाल विकास परियोजना अधिकारी**
   महिला एवं बाल विकास विभाग
   समस्त ब्लॉक, राजस्थान
8. **ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी,**
   समस्त ब्लॉक, राजस्थान

विषयः—आंगनबाडी केन्द्रों पर संचालित पूर्व प्राथमिक शिक्षा के प्रभावी संचालन हेतु प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित कक्षा 1 से 8 के राजकीय उ0प्राथमिक विद्यालयों द्वारा पर्यवेक्षण हेतु दिशा निर्देश।

राज्य में महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से संचालित आंगनबाडी केन्द्रों पर प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा एवं देखरेख (ECCE) कार्यक्रम के तहत 3 से 6 साल के बालक—बालिकाओं को पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जा रही है।

राज्य सरकार द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग के अर्न्तगत कक्षा 1 से 10/12 के समन्वित माध्यमिक विद्यालय/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के माध्यम से उनके आस स्थित आंगनबाडी केन्द्र में प्रदान की जा रही पूर्व प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दृष्टि से दिशा—निर्देश विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 8.8.2016 द्वारा जारी किये गये हैं।

इसी प्रकार प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित कक्षा 1 से 8 के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के माध्यम से आस—पास स्थित आंगनबाडी केन्द्रों में प्रदान की जा रही पूर्व प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दृष्टि से संलग्नानुसार दिशा निर्देश जारी किये जाते है। इन दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

शासन सचिव,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
राजस्थान सरकार, जयपुर

3/4/17
शासन सचिव,
स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर